

: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर मप्र :

क्रमांक/4709/स्था. प्रशा/श. नि./89 बिलासपुर, दि०/3/7/89

// आदेश //


विश्वविद्यालय कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 13.7.89 में पद क्रमांक-1 पर लिये गये निर्णयानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-49 के प्रावधान के अंतर्गत चयन समिति की अनुज्ञप्ति स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग गणित में उनके नाम के समक्ष दशाधि गये पद एवं वेतनमान पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

उनका वेतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जायेगा।

उन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य सभी भत्ते दिये होंगे :-

क्रमांक	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण.
1-	डॉ. सुरेश पद्म. सिंह	उपाचार्य	3700-5700/-	गणित	-
✓ 2-	श्री अभय एस. रमदिवे व्याख्याता		2200-4000/-	गणित	-


कार्य-परिषद् के आदेशानुसार,


॥ ज. न. स. त्रिवेदी ॥
कुलसचिव.

पुक्र/4709/स्था. प्रशा/श. नि/89 बिलासपुर, दिनांक-13/7/89
प्रतिक्रिया:-

✓ 11 *Shri. Abhay S. Ramadive Lecturer*
Dept. of Math. College, Bilaspur.
को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण-पत्र यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

- 2। सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ ।
- 3। प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4। सचिव, म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 5। वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 6। कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ ।
- 7। समन्वयक, शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8। सहायक कुलसचिव, शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित का कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना दें ।


उप-कुलसचिव [प्रशासन]